माननीय उच्चतम न्यायालय जयपुर द्वारा D.B. Civil. Writ Petition (PIL) No. 4563/2014 दिनांक 19.02.2015 की अनुपालना में परिवहन विभाग से जारी आदेश क्रंमाक 07/2018 दिनांक 19.02.2018 के बिन्दु संख्या 3 (C) के अनुसार NHAI से प्राप्त सूची के आधार पर वाहनों को ब्लॉक किया जाना है। NHAI से प्राप्त ओवरलोड वाहनों की सूची के अनुसार ही ओवरलोड वाहनों को वाहन 4.0 सोफ्टवेयर पर ब्लॉक किया गया था।

परिवादी श्री ज्ञानेश कुमार के परिवाद में वाहन का नंबर अंकित नही होने के कारण एवं News Paper Cutting मे भी वाहन नंबर अंकित नही होने के कारण जांच किया जाना संभव नही है।